फर्द अहकाम

(नियम--26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री भूरालाल खटीक निवासी सावा बनाम श्री गेहरू मेघवाल निवासी सावा वगैरा

प्र.सं. 22/2018 (रै.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक निगरानी प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 05/2013 (नि.पं.) दर्ज होकर बहस हेतु दिनांक 21.11.2017 नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थी/निगराकार बीमार हो जाने के कारण न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं दे सका और न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर पाया तथा प्रार्थी/निगराकार के अधिवक्ता भी उस दिनांक को अन्य अदालतों में व्यस्त होने से वक्त पेशी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। इस कारण प्र. सं. 05/2013 (नि.पं.) को न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। उक्त प्रकरण में पट्टे बाबत् रिपोर्ट भी ग्राम पंचायत से प्राप्त हो चुकी है यदि उक्त प्रकरण में मेरिट पर सुनवाई होकर निर्णय नहीं हुआ तो प्रार्थी/निगराकार को न्याय से वंचित होना पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त प्रकरण संख्या 05/2013 (नि.पं.) को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षीगण का मुख्य कथन यह रहा कि निगराकार एवं उसके अधिवक्ता के न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी ने पेशी पर बीमार हो जाने का गलत कथन अंकित किया है तथा प्रार्थी ने न्यायालय में अनुपस्थिति बाबत् कोई ठोस एवं सद्भावी कारण नहीं बताया है जिससे प्रार्थी कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी ने नियत तारीख पेशी पर बीमार हो जाने का कथन करते हुए नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकने का निवेदन किया है किन्तु कथन की पुष्टि में बीमारी संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी सहानुभूति रखते हुए न्यायहित में राशि 500/- रूपये की कोस्ट पर प्रकरण संख्या 05/2013 (नि.पं.) निर्णय दिनांक 21.11.2017 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी 500/- रूपये कोस्ट की राशि अधिवक्ता गैर निगरानीकार को भुगतान करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण संख्या 05/2013 (नि.पं.) के संलग्न की जावे। 3/3/20 (चेतन देवड़ा) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official